प्रेस नोट - मॉनिटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 10.04.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास, धारा 302 भादवि में 02 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं कुल 45000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्री प्रियांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना कलान पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एएसजे-II में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना कलान में आरोपी 1. संजीव उर्फ संजू पुत्र बाँकेलाल निवासी कस्बा व थाना उसहैत जनपद बदायूँ 2. पवन पुत्र बाँकेलाल निवासी ग्राम रुकनपुर थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी के पुत्र की हत्या कर देने के आरोप में आजीवन कारावास एवं कुल 45000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्तों का विवरण-

1. संजीव उर्फ संजू पुत्र बाँकेलाल निवासी कस्बा व थाना उसहैत जनपद बदायूँ।
2. पवन पुत्र बाँकेलाल निवासी ग्राम रुकनपुर थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर

घटना व सजा का विवरण-

मु0अ0सं0 12/2023 धारा 302, 34, 201 भादवि थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर में आरोपी 1. संजीव उर्फ संजू पुत्र बाँकेलाल निवासी कस्बा व थाना उसहैत जनपद बदायूँ 2. पवन पुत्र बाँकेलाल निवासी ग्राम रुकनपुर थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी के पुत्र की हत्या कर देने के आरोप में आजीवन कारावास एवं कुल 45000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।